<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 10.09.2020

थाना कोठी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद ट्रैक्टर ट्राली बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अवैध लकड़ी कटान करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के दिशा निर्देश व क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोठी श्री शैलेश यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.09.2020 को अभियुक्त फूलचन्द पुत्र विश्वेशर निवासी घोलियाबाग थाना कोठी जनपद बाराबंकी को समय 01.15 बजे ग्राम इलिचपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद ट्रैक्टर ट्राली मय आम की लकड़ी लदी हुई बरामद किया गया। उक्त वाहन का प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रपत्र व वाहन के कागजात मौके पर मांगे गये तो अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार का वैध प्रपत्र नही दिखाया जा सका जिससे एक अदद ट्रैक्टर को धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया। थाना कोठी पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना कोठी पर मु0अ0सं0 295/2020 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

फूलचन्द पुत्र विश्वेशर निवासी घोलियाबाग थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान–</u>

दिनांक 10.09.2020 को समय 01.15 बजे ग्राम इलिचपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी-</u>

एक अदद ट्रैक्टर ट्राली नं0 यूपी 41 एवी 8883 मय आम की लकड़ी लदी हुई

<u>पुलिस टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष कोठी श्री शैलेश यादव जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
3. का0 अंकित कुमार थाना कोठी जनपद बाराबंकी।